न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 338/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

रूपिन्द्र कौर पत्नी हरविंदर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0. –
वादी

बनाम्

1. केवल सिंह पुत्र प्रीतमसिंह
2. खेता सिंह पुत्र अमरसिंह
3. गुरचरण सिंह पुत्र कालूसिंह
4. जंगसिंह पुत्र बुंटासिंह
5. नत्थू सिंह पुत्र गीता सिह
6. मलकीत सिंह पुत्र प्रीतमसिंह
7. राजासिंह पुत्र प्रीतमसिंह

(1 से 7) समस्त जाति जट सिख निवासी फूलूखेडा तहसील लम्बी जिला मुक्तसर सहिब पंजाब

8. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री नरेश मण्डा –वकील वादी
2. श्री राधे शर्मा –वकील प्रति 1 ता 7

निर्णय दिनांक :– 22.7.2024

वादी रूपिन्दर कौर ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एव विभाजन हेतु के तहत दिनांक 24–06–2024 को इस न्यायालय में पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। कि चक न 17 बी.जी.पी की ज.स 2072–2075 के खाता स 142/16 मे वादीया ने दिनाक 11–06–2019 को जरीये रजि बैयनामा के प्रतिवादी स 1,6,7 से ब.हि.ब की दर से कुल 1.096है कृषि भूमि खरीद की थी व उसी रोज वादीया ने कब्जा प्राप्त कर लिया था व खरीद के रो से वादीया निविवाद रूप से काश्त करती चली आ रही है कब्जा काश्त बाबत काई विवाद नही है प्रार्थीया के नाम उक्त कृषि भूमि का नामातरण भी हो चुका है लेकिन सहवन से उक्त खाता से खाता विभाजन होने के कारण जमाबंदी मे नाम विलोपित हो गया है जिसे वादीया उक्त हिस्सा की हद तक हिस्सा घोषित करवाकर खाता विभजित करवाने की अधिकारी व दावेदार हैं जिसकी जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है कि वादी व प्रतिवादीगण स 1 ता 7 सथुक्त खातेदार है वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि वादीया के नाम से सयूक्त खाता मे दर्ज नही है कृषि भूमि बैयनामा सलग्न वाद पत्र है वादीया व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर लिया है वादी उक्त कृषि भूमि पर मौका पर काबिज होकर निविवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है जिसका वादी खाता विभाजन करवाने की अधिकारी व दावेदार है कि वादी के कब्जा काश्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि निम्न प्रकार से है

(क) वादी रूपिन्दर कौर पत्नी हरविंदर सिंह जाति जट सिख निवासी बोलांवाली तहसील–संगरिया जिला हनु0 (राज.)को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

चक 17 बी.जी.पी. **खाता सं. 142/16**

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
155/166	72	2/0.253है.,3/[illegible] 7/0.084है.किला [illegible]
		कुल– 1.096है. कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:37:19 IST
Reason: SelfAttested

है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

को दावा की चरण सं. 4 के अनुसार कृषि भूमि की विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है कि प्रतिवादी सं. 8 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है कि वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक17बी.जी.पी. के खाता सं.142/16 में वादी का वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार 1.096है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी.स 1,2 ,4 ता 7 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी स 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाव सहमती का उतर वाद पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी. सं. 8 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम न कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर प्रदान किया गया साक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र [illegible] 18 नि 4 सी.पी.सी पेश किया उभयपक्ष अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इस लिए साक्ष्य बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1,2 4 ता 7 का खाता मुताबिक राजीनामा व प्रतिवादी स 3 के सहमती के उतर वाद पत्र के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर घोषणा इस आशय कि फरमाई जावे की चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 142/16 में वादी का वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार 1.096 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.366है.,प्रतिवादी सं. 6 का 0.365है. ,प्रतिवादी सं. 7 का 0.365है. हिस्सा कुल–1.096है.हिस्सा कम कर खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादी के कथनो का विरोध नही करते हूऐ मुताबिक वादी व प्रति स 1,2,4ता7 के राजीनामा व प्रति स 3 के उतरवाद पत्र के आधार पर वाद पत्र को डिक्री करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता7 आराजी के सह–काश्तकार है।वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2व 4ता7 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है व प्रतिवादी स 3 ने सहमती का उतर वाद पत्र पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है।वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है [illegible] मुताबिक राजीनामा व सहमती उतर वाद पत्र के अनुसार डिक्री किया [illegible] प्रतीत होता है।अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:37:19 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 1 ता 7 का खाता मुताबिक राजीनामा व सहमती उतर के आधार पर डिक्री किया जाता है कि:– चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 142/16 में वादी का वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार 1.096 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 0.366है.,प्रतिवादी सं. 6 का 0.365है.,प्रतिवादी सं. 7 का 0.365है. हिस्सा कुल–1.096है. हिस्सा कम कर खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है चरण स 4 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क)वादी रूपिन्दर कौर पत्नी हरविंदर सिंह जाति जट सिख निवासी बोलांवाली तहसील–संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

चक 17 बी.जी.पी. **खाता सं. 142/16**

प. नं.	मु. नं.	किला नं.
155/166	72	2/0.253है.,3/0.253है.,4/0.253है. 7/0.084है.किलानं 4 के चिपते, 8/0.253है.

कुल– 1.096है. कृषि

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kun
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(46)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 338 / 2024

1. रूपिन्दर कौर पत्नी हरविन्दर सिह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीया

बनाम

1. केवल सिंह पुत्र प्रीतम सिह जाति जटसिख निवासी फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
2. खेतासिह पुत्र अमरसिह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर हाल आबाद फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
3. गुरचरण सिह पुत्र कालूसिह जाति जटसिख निवासी फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
4. जंगसिह पुत्र बुटासिह जाति जटसिख निवासी फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
5. नत्थू सिह पुत्र गीता सिह जाति जटसिख निवासी फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
6. मलकीतसिह पुत्र प्रीतमसिह जाति फूलूखेड़ा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
7. राजासिह पुत्र प्रीतम सिह जाति जटसिख निवासी फूलूखेडा तहसील लम्बी जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राधे शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 142 / 16 में वादी 1.096 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.366 है. प्रतिवादी संख्या 6 का 0.365 है. प्रतिवादी संख्या 7 का 0.365 है. हिस्सा कम वादीया का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादीया रूपिन्दर कौर पत्नी हरविंदर सिह की भूमि:–

चक 17 बीजीपी खाता संख्या 142 / 16		
प.न.	मु.न.	किला नम्बर
155 / 166	72	2 / 0.253 है. 3 / 0.253 है. 4 / 0.253 है. 7 / 0.084 है. किला नं. 4 के चिपते, 8 / 0.253 है. कुल 1.096 है. कृषि भूमि

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से वसूलयाबी तक... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया